250

कोर्ट फीस 10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

कोर्ट फीस 5रु. COURT FEE पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क्र0 /निगरानी 2012/–छतरपुर

R-2769-II/12

रमेश चन्द पिता शिवराज पाल

निवासी आलीपुरा, तहसील नौगॉव जिला

छतरपुर म0प्र0 ....*आवेदक*

श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभि0 द्वारा आज दि 28-8-12 को प्रस्तुत

28-8-12 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 4.45 PM

बनाम

1. राज बहादुर पिता रामवक्श सिंह यादव

निवासी – आलीपुरा, तहसील नौगॉव जिला

छतरपुर म0प्र0

2. मध्यप्रदेश शासन ....*अनावेदक*

कुंवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट) 28/08/2012

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश तहसील नौ गॉव जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 73/अ–12/2011–12 राजबहादुर /शासन आदेश दिनांक 18.07.2012 को पारित।

श्रीमान जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार वाहय होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड की सुक्षमता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया, वह निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2767-दो/2012 जिला छतरपुर रमेश विरूद्ध राजबहादुर व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील नौगांव के प्रकरण क्रमांक 73/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 18-07-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी नौगांव को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । (3) (आर.के. जैन) सदस्य	12/2/2019